भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–29/2017–18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख सा
30.08.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभिलेख **18.05.2017** को उपस्थापित है। सुनवाई की अगली तिथि **31.05.2017** को निर्धारित थी। अभिलेख को पुनर्जीवित हेतु सुनवाई की अगली तिथि **25.09.2017** को रखें एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक **25.09.2017** को उपस्थापित करें। 30.8.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.09.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि **11.10.2017** को रखें। अभिलेख दिनांक **11.10.2017** को उपस्थापित करें। 25.9.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
11.10.2017	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई की अगली तिथि **11.11.2017** को रखें। अभिलेख दिनांक **11.11.2017** को उपस्थापित करें। 11.10.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
11.11.2017	आवेदक श्री/श्रीमती **अर्जुन हो उर्फ अर्जुन बोदरा**, पिता/पति **विशु हो उर्फ विशु बोदरा**, ग्राम–**श्यामराईडीह**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**वार्ड नं0–06, नगरपालिका**, थाना नं०–**68**, खाता नं०–**65**, प्लॉट नं०–**101**, रकवा–**0.04.000 ए0**, क्रेता श्री/श्रीमती–**श्यामलाल गागराई**, पिता/पति–**विशई गागराई**, ग्राम–**कायदा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अचंल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक I-2/2017-877, दिनांक 31.10.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका–**अर्जुन हो उर्फ अर्जुन बोदरा**, पिता/पति **विशु हो उर्फ विशु बोदरा** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास **4,00,000/–(चार लाख)** रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में विराई हो, मोन्डे हो, डिबरू हो तथा सेलाय हो, पिता लखन हो, पिता विशु हो के नाम पर दर्ज है। विक्रेता खतियानी रैयत है। जमाबन्दी पंजी ।। में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना–**चक्रधरपुर** के निवासी है तथा **"हो" (अ0ज0जा०)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा–**2.74 ए0** भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अनुशंसा के आलोक में आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती–**श्यामलाल गागराई**, पिता/पति–**विशई गागराई**, ग्राम–**कायदा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है। लेखापित 11.11.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर 11.11.17 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	